### न्यायालयः—द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

्रांडिक अपील क्रमांकः 01 / 2017 संस्थित दिनांक—02 / 01 / 2017 फाइलिंग क्रं.—सी.आर.ए. / 5 / 2017

पप्पू उर्फ परमालसिंह पुत्र सोवरन सिंह निवासी डांग थाना गोहद चौराहा गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / आरोपी

## वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

----प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक अपीलार्थी / आरोपी द्वारा एम०एस० यादव अधिवक्ता।

न्यायालय— श्री गोपेश गर्ग, जे०एम०एफ०सी० गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण कमांक—781 / 2012 ई०फौ में घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 01 / 12 / 2016 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

# —::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **03 जनवरी 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ परमाल की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा—374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री गोपश गर्ग द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 781/2012 ई0फी0 निर्णय दिनांक—01/12/2016 में घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को धारा—294, 341 एवं 506 भाग—2 भा0द0वि0 के अपराध से दोषमुक्त करते हुए धारा—323 भा0द0वि0 के अपराध के लिए एक माह के सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया है।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत है, कि अपीलार्थी / आरोपी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि के बिन्दु को चुनौती नहीं दी गई है।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 19 / 09 / 12 को सुबह 10 बजे फरियादी नरेन्द्र अ0सा0—01

रोजाना की तरह भैंसे चराने बाबूजी के हार में जा रहा था, रास्ते में आरोपी परमालिसंह मिला जिसने उसे रोककर अश्लील गालियां दी, जब उसने गाली देने से मना किया तो परमाल ने उसके कुल्हाडी मारी जो उसके सिर में दािहने तरफ लगी, जिससे घाव होकर खून निकलने लगा, तथा दूसरी कुल्हाडी बट की तरफ से मारी जो दािहने हाथ की हथेली में लगी, जिससे मूंदी चोट आई तथा, एक बेंट बाए तरफ घोटूं में मारा जिससे मुंदी चोट आई। मौके पर पपेन्द्र अ0सा0—02 व सतेन्द्र सिंह अ0सा0—04 आ गए, जिन्होंने उसे बचाया, तत्पश्चात फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में अपराध कमांक 159/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—01 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2

- 4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 341, 323 एवं 506—बी. भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर, आरोपी को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपों से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी को धारा—294, 341 एवं 506 भाग—2 भा0द0वि0 के अपराध में दोषमुक्त करते हुए तथा धारा—323 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए एक माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया, जिससे व्यथित होकर आरोपी/अपीलार्थी की ओर से यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
- 5. आरोपी / अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः दण्डाज्ञा को चुनौती देते हुए यह आधार लिया है, कि आरोपी / अपीलार्थी विचारण के दौरान दो दिन न्यायिक निरोध में काट चुका है, तथा प्रथम अपराधी है एवं साधारण झगड़े का मामला है और कुल्हाडी का बट मारना बताया गया है यदि आरोपी / अपीलार्थी का आशय होता तो साधारण चोट नहीं आती और आपसी विवाद को लेकर मामला बनवा दिया था, तथा करीब 4 वर्ष से अधिक विचारण का सामना वह कर चुका है, इसलिए आरोपी / अपीलार्थी द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि एवं अर्थदण्ड पर्याप्त दण्डादेश है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह के सश्रम कारावास की जो दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है, वह अविवेकपूर्ण और न्याय संगत नहीं है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर कारावास की दण्डाज्ञा को अपास्त किया जावे।
- 6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—
  - 1— ''क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 781/12 निर्णय दिनांक 01/12/16 में आरोपी/अपीलार्थी पर अधिरोपित दण्डाज्ञा कठोर श्रेणी की है, यदि हां तो प्रभाव ?''

## —::- <mark>निष्कर्ष के आधार</mark> —::

7. आरोपी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में लिए गए आधारों के अनुरूप तर्क करते हुए, कारावास की दण्डाज्ञा को अपास्त कर दिए गए अर्थदण्ड को ही पर्याप्त दंण्डादेश होना बताया है, जबिक विद्वान ए०जी०पी० का यह तर्क है, कि आरोपी / अपीलार्थी द्वारा अकारण घटना को अंजाम दिया गया और फरियादी को यदि गंभीर चोट आ जाती तो मामला गंभीर हो जाता और अकारण विवादों के फलस्वरूप अनेक गंभीर घटनाएं हो जाती है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई कारावास की दण्डाज्ञा उचित है, इसलिए अपील निरस्त की जावे।

3

- 🥼 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय का 8. अध्ययन किया गया, अपील ज्ञापन में उठाए गए बिन्दुओं और लिए गए आधारों पर चिंतन मनन किया गया, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी के विरूद्ध धारा-294, 341, 323 और 506 भाग-02 भा०द०वि० के आरोपों का विचारण करते हुए, निर्णयानुसार धारा—323 भा०द०वि0 में दोषसिद्ध कर एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, शेष आरोपों से दोषमुक्ति की गई है, निर्णय कंडिका 26 मुताबिक आरोपी / अपीलार्थी विचारण के दौरान दिनांक 16/06/16 एवं 17/06/16 दो दिवस न्यायिक निरोध में रह चुका है, उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं बताया गया है, जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है और फरियादी नरेन्द्र को प्रमाणित चोट 0.5 🗴 1 से0मी0 की साधारण प्रकृति की निर्णयानुसार बताई गई है। मूलतः प्रकरण दिनांक 03/10/12 को संस्थापित हुआ था, विचारण को चार वर्ष से अधिक समय लगा, जिस अवधि में आरोपी/अपीलार्थी अभियोजन का रसामना करता रहा, धारा-323 भा0द0वि0 के अपराध के लिए एक वर्ष तक के कारावास और एक हजार रूपए अर्थदण्ड या दोनों सजाओं से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।
- 9. आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा काटी गई दो दिन की न्यायिक निरोध की अविध को देखते हुए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक हजार रूपए के अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा प्रकरण में प्रमाणित अपराध को देखते हुए, पर्याप्त दण्डादेश की श्रेणी में आता है और उससे न्यायिक उद्देश्य की तुष्टि होती है, ऐसे में धारा—323 भा0द0वि0 में एक माह के सश्रम कारावास की दण्डाज्ञा को उत्पन्न परिस्थितियों में अपास्त करना उचित व न्याय संगत पाया जाता है, तथा घटना के पीडित नरेन्द्र को धारा—357(1)(ख) दं0प्र0सं0 के तहत चोटिल होने से उठाइ गई क्षति के एवज में प्रतिकर के रूप में प्रथक से 2,500/—(दो हजार पांच सौ) रूपए दिलाया जाना उचित होगा। अतः दण्डाज्ञा के प्रश्न पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील आशिक रूप से स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ परमालिसंह को दोषसिद्ध अपराध

धारा—323 भा0द0वि0 में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है, तथा अर्थ दण्ड को यथावत रखते हुए न्यायिक निरोध में काटी गई दो दिवस की अवधि तक कारावास की दण्डाज्ञा को सीमित किया जाता है। साथ ही आरोपी / अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है, कि वह सात दिवस के भीतर विचारण न्यायालय में फरियादी/आहत नरेन्द्र अ०सा०-०1 द्वारा उठाई गई क्षति के लिए प्रथक से 2,500 / –(दो हजार पांच सौ) रूपए की राशि जमा करे, जो फरियादी को विधिवत प्रदान की जावे।

- तद्नुसार अपील का निराकरण किया जाता है। 10.
- निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे। 11.

दिनांक: 03 जनवरी 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

